

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 02, गुरुवार, शाके 1947- जनवरी 22, 2026 Magha 02, Thursday, Saka 1947- January 22, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 21, 2026

संख्या-F5(2)coi/coord/des/2020 :- केंद्र सरकार द्वारा जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2027 से सम्बन्धित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाना है। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरम्भ होने से ठीक पहले पन्द्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जायेगा।

जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) के उपबन्धों के अधीन बनाए गए जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण का कार्य दिनांक 16 मई 2026 से 14 जून 2026 के मध्य में सम्पन्न करवाया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी 1 मई 2026 से 15 मई 2026 की समयावधि में संचालित किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ. रवि कुमार सुरपुर,
शासन सचिव।

Statistics Department

NOTIFICATION

Jaipur, January 21, 2026

No. F.5(2)COI/Coord/DES/2020 :-In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), read with Rule 6(a) and Rule 6(d) of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby notifies that the work relating to House listing operations of the Census of India 2027 shall be conducted in all States and Union Territories between 1st April, 2026 and 30th September, 2026, during a period of thirty days as specified by each State and Union Territory. An option for self-enumeration shall also be made available, which shall be operational for a period of fifteen days, commencing thirty days prior to the start of the house-to-house House listing and Housing Census work.

In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of Rule 8 of the Census Rules, 1990, made under the provisions of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government

has decided that the work of the first phase of Census of India 2027, i.e., the House listing and Housing Census, in the State shall be conducted from 16th May, 2026 to 14th June, 2026. The option for self-enumeration shall be operational from 1st May, 2026 to 15th May, 2026.

By Order of the Governor,
Dr. Ravi Kumar Surpur,
Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।